राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 172/2025

नजमा खान

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बूंदी।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयागांव माफि, वैर, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.01.2025
आदेश की दिनांक : 22.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 06.12.2024 के आरोपित आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ढाणी ब्लॉक तालेड़ा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वार्ड संख्या 19, केशोरायपाटन, बूंदी में अस्थाई समायोजन के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तालेड़ा, बूंदी में स्थानांतरित किया गया था और आरोपित आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपीलार्थी के पदस्थापन स्थान को बदल दिया है। काउंसलिंग आयोजित करने के साथ–साथ रिक्त पद दिखाए बिना। अपीलकर्ता का नाम क्रम संख्या 64 पर रखा गया था। (अनुलग्नक–1) आरोपित आदेश के अनुपालन में, अपीलार्थी को दिनांक 17.12.2024 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त भी किया गया। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.11.2024 को आदेश जारी किया था जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों को अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी को प्रारंभ में वर्ष 1996 में शिक्षक ग्रेड III के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद अपीलार्थी ने अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया और पूरी ईमानदारी और संतुष्टि के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। प्रत्यर्थी विभाग ने आपत्तिजनक आदेश के तहत अपनी तैनाती का स्थान बदल दिया और उन्होंने काउंसलिंग किए बिना और पास में खाली पद दिखाए

बिना अवैध रूप से ब्लॉक बदल दिया। अपीलार्थी अपने विद्यालय में सबसे वरिष्ठ अभ्यर्थी है, इसके बावजूद रिक्त पद होने के बावजूद उसे बिना विवेक का प्रयोग किए तथा विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना पद पर नियुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का पति आजो नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है जो आंखों से संबंधित एक गंभीर समस्या है और उसका इलाज चल रहा है। (अनुलग्नक–4)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) एंव आलौच्य आदेश दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वार्ड न. 19, केशोरायपाटन, बूंदी में अध्यापक III लेवल 1 के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)